भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3219**

**23 मार्च, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: किसानों की आय को दोगुना किया जाना**

**3219. श्री वि॰ विजयसाई रेड्डीः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या देश में किसानों की आय का वर्तमान में कोई अनुमान नहीं है और जो उपलब्ध है वे चार वर्षों से अधिक पुराने हैं;

(ख) क्या मंत्रालय 2018-19 में किसानों की आय का ऐसा सर्वेक्षण प्रारंभ करने पर विचार करेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पीएमकेएसवाई में और निवेश करने से वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस सीमा तक सहायता प्राप्त होगी; और

(ङ) मंत्रालय अपने उद्देश्य को किस प्रकार से हासिल करेगा जबकि केन्द्र और राज्य का कृषि के लिए बजट 1.05 लाख करोड़ रुपये है और प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क): देश में प्रति कृषक परिवार औसत आय का नवीनतम उपलब्‍ध अनुमान राष्‍ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा उसके 70वीं पारी (जनवरी, 2013 - दिसंबर, 2013) के दौरान संचालित ‘‘कृषि परिवारों का स्‍थिति आंकलन सर्वेक्षण’’ पर आधारित है। सर्वेक्षण के निष्‍कर्षों के अनुसार, प्रति कृषक परिवार की सभी स्रोतों से औसत मासिक आय 6,426/- रूपए है।

(ख) और (ग): जी, हां। राष्‍ट्रीय सांख्‍यिकी आयोग (एनएससी) ने कृषि परिवारों का अगला स्‍थिति आकलन सर्वेक्षण कृषि वर्ष जुलाई, 2018 – जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस 77वीं पारी (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) में संचालित करने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरूआत 2015-16 में की गई थी जिसके 4 मुख्‍य घटक है। इसमें त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन (सीएडीडब्‍ल्‍यूएम); पीएमकेएसवाई (हर खेत को पानी); पीएमकेएसवाई (पर ड्रॉप मोर क्रॉप); पीएमकेएसवाई (वाटरशेड) शामिल हैं। इस योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) घटक का कार्यान्‍वयन कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जिसका मुख्‍य ध्‍यान ड्रिप और छिड़काव प्रणालियों तथा जल संचय संरचनाओं जैसे कुशल जल उपयोग तकनीकों के माध्‍यम से जल का संरक्षण करने पर है।

एक प्रभाव मूल्‍यांकन अध्‍ययन में यह स्‍पष्‍ट हुआ है कि सूक्ष्‍म सिंचाई में सिंचाई लागत को 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कम करने, 31 प्रतिशत तक बिजली की बचत करने, उवर्रक उपयोग में 28 प्रतिशत तक बचत करने, उत्‍पादकता में 42.3 से 52 प्रतिशत तक वृद्धि करने, आदि की संभावना है। आदान लागत में यह कमी और उत्‍पादन स्‍तरों में वृद्धि किसानों का लाभ बढ़ाएगा।

अनुमोदित परिव्यय के अनुसार, 2015-16 से 2019-20 की अवधी के लिए पीएमकेएसवाई संबंधी पीडीएमसी घटक हेतु 16,300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस घटक के तहत 2017-18 तक 7540 करोड़ रूपए प्राप्‍त हुए हैं।

\*\*\*\*\*